# फर्द अहकाम

## (नियम–26)

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**डावरराम बनाम सुगनाराम**

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....7.....सन.....2023.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/2/2023 | यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 10/2021 बउनवान सुगनाराम बनाम पुखराज वगैरह में पारित आदेष दिनांक 18/3/2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।<br><br>अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तग्रत प्रकरण में वर्णित वाद ग्रस्त आराजी संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेष पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध विधि के मंशा के विपरीत रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना कोई जांच किये एकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेष की आड में अपीलांट की कब्जाषुदा आराजी से उपयोग व उपभोग में भारी असुविधा हो रही है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेष की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे।<br><br>अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेष पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे पक्षकारो के हक–हकूको का निर्णय मूल वाद के निस्तारण पर होना है। किन्तु प्रकरण में यह भी निर्विवाद सत्य है कि वाद ग्रस्त आराजी समस्त पक्षकारों की सामलाती आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेष के | |

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

करण अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपने हक हिस्से से तक का उपयोग उपभोग करने से वचित हो रहा है। जो कि न्याय संगत नही है। अतः प्रकरण में अतरिम व्यादेष इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 10/2021 बउनवान सुगनाराम बनाम पुखराज वगैरह में पारित आदेष दिनांक 18/3/2021 की पालना व प्रभाव अपीलांट के वादग्रस्त आराजी में राजस्व रेकर्ड हिस्से अनुसार स्थगित किया जाता है। अपीलांट अपने हक हिस्से तक की भूमि के संबध मे बैक से ऋण लेने एवं क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। शेष जैर अपील आदेश यथावत रहेगा। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.03.2022 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि ** 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना संख्या 10/2021 बउनवान सुगनाराम बनाम पुखराज वगैरह के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली